



प्रेषक,

रंजन कुमार,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

आयुर्वेद सेवाएँ,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 01.06.2026

विषय- क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय, रायबरेली के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-19/503/DAU0/स्थापना/2026-27/योजना, दिनांक 17.04.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय, रायबरेली के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-16/2025/1392/96-आयुष-1-2025-ई0पत्रा0-1872215, दिनांक 31.03.2025 द्वारा धनराशि ₹0-246.79 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ₹0-100.00 लाख अवमुक्त की गयी है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-33 के अन्तर्गत प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि ₹0-134.45 लाख (रुपया एक करोड़ चौंतीस लाख पैंतालिस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28-03-2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य मार्गदर्शी शासनादेशों/नियमों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजना अन्तर्गत संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों तथा लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा निर्गत जेम पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-57/18-2-2024-97(ल030)/2016, दिनांक 26 नवम्बर, 2024 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रायोजना को स्वीकृत लागत में पूर्ण कराने का दायित्व निदेशक, आयुर्वेद सेवाएँ, 30प्र0 तथा कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। परियोजना को यथावश्यकता निरीक्षण करने तथा पूर्ण गुणवत्ता के साथ नियत समयावधि में पूर्ण करने का दायित्व निदेशक आयुर्वेद सेवाएँ, 30प्र0 का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, आयुर्वेद सेवाएँ, 30प्र0 तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी का होगा। निदेशक, आयुर्वेद सेवाएँ, 30प्र0 तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में अवमुक्त धनराशि को आवंटित/व्यय किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि को पोस्ट आफिस/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित लागत में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो। इस हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21.06.2017 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों/नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु अवमुक्त की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। इस हेतु निदेशालय स्तर पर एक लेजर बनाया जायेगा, जिसको नियमित रूप से अद्यावधिक रखने का उत्तरदायित्व निदेशक, आयुर्वेद सेवाएँ, 30प्र0 का होगा।

(7) निदेशक, आयुर्वेद सेवाएँ/संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य सम्पादित करते समय वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग द्वारा समय समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं अन्य संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अवमुक्त धनराशि का व्यय किया जायेगा।

(8) प्रायोजना में प्रस्तावित की गयी मात्राओं/प्राविधानों/दरों के औचित्य की पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, आयुर्वेद सेवाएँ, 30प्र0 तथा कार्यदायी संस्था की होगी। परियोजना में प्रस्तावित की गयी मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, आयुर्वेद सेवाएँ, 30प्र0 तथा कार्यदायी संस्था का होगा।

(9) प्रायोजना की उत्तरवर्ती किश्तें निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में आयुष अनुभाग-2, 30प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-461/96-आयुष-2-2019-09(बी)/2018, दिनांक 13-03-2019 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों/नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उक्त धनराशि को व्यय करने के पूर्व की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं मिल जाता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सुसंगत नियमों के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक प्राप्त कर ली जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,34,45,000 (रुपये एक करोड़ चौंतीस लाख पैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 033 लेखा शीर्षक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।

4210808000500 आयुर्वेद विभाग में क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी कार्यालयों का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंजन कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या-16/2026/1072(1)/96-आयुष-1-26. तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1)महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (2)महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (3)संबंधित मुख्य कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक आयुर्वेद)।
- (4)वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- (5)संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
- (6)प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
- (7)आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- (8)गार्ड फाइल।

आज्ञा से

जगन्नाथ प्रसाद श्रीवास्तव

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।